राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 21/2017/हनुमानगढ़

मैसर्स शिव जनरल स्टोर,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़। .....प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–'अ', हनुमानगढ़ .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री सुरेशा ओझा, अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.01.2018

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किया गया है। परिशोधन प्रार्थना–पत्र द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2580/2016/हनुमानगढ़ मैसर्स शिव जनरल स्टोर हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, हनुमानगढ़ में पारित किये गये निर्णय दिनांक 19.12.2016 में परिशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, हनुमानगढ़ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 75(8) व 25 के अन्तर्गत के पारित आदेश दिनांक 11.07.2016 के द्वारा आरोपित शास्ति रुपये 25,10,732/– व कर 11,71,675/– कुल रुपये 36,82,407/– की मांग सृजित की गई। अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि रुपये 36,82,407/– को स्थगित करने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होनें उक्त कायम राशि का 30 प्रतिशत अर्थात 11,04,722 जमा कराने की शर्त पर रुपये 25,77,685 की वसूली को स्थगित करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया।

3. व्यवहारी द्वारा यह अपील, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 38(4) में पारित किये गये आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। इस अपील में कर राशि रुपये 11,71,675/– को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया। कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील का निस्तारण निर्णय

लगातार.....2

दिनांक 19.12.2016 द्वारा किया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा रुपये 11,04,722/– जमा कराने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यदि यह राशि 15 दिवस के भीतर जमा करा देता है तो वसूली 3 माह या अपील के निर्णय तक रोक लगायी जाती है।

4. बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

5. प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा विवादित राशि 11,04,722/– की मांग को स्थगित करने या न करने बाबत कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है। इन्होनें परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इन्होनें अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 30 ITR 181 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. राजस्व पक्ष की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष परिशोधन की श्रेणी में नहीं है। अतः परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावें।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश में विवादित राशि रुपये 11,04,722/– के संबंध में यह आदेश दिया है कि यदि व्यवहारी द्वारा यह राशि 15 दिवस के भीतर जमा करा दी जाती है, तो शेष राशि रुपये 25,77,685/– की वसूली अपील के निर्णय अथवा 3 तीन माह, जो भी पहले तक के लिये रोक लगाई जाती है। माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय में विवादित राशि 11,04,722/– को स्थगित करने या न करने के संबंध में आदेश पारित न होने के कारण विवादित बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सका है, जो रेकार्ड पर प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है तथा संशोधन योग्य है। अतः परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 19.12.2016 निरस्त किया जाता है व मूल अपील संख्या 2580/2016 पर पुर्नविचार किया जाता है।

9. प्रार्थी व्यवहारी का अपील में मुख्य आधार यह है कि प्रार्थी को धारा 25 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है व दायित्व बढ़ाने के लिये तैयारशुदा मूल्यांकन रिपोर्ट में फरेबदल किया गया है। प्रार्थी द्वारा उठाया गया बिन्दु परीक्षण योग्य है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण सुविधा का संतुलन व महत्वपूर्ण क्षति का मामला भी प्रार्थी के पक्ष में माना जायेगा।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर संपूर्ण मांग कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि योग्य जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर तीन माह या अपील के निर्णय, जो भी पहले हो तक स्थगित की जाती है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण का यथासंभव 3 माह में निस्तारण करें।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य